बिहार सरकार

विधि विभाग

बिहार वित्त विधेयक, 2012

सत्यमेव जयते

2012

बिहार वित्त विधेयक, 2012

विषय-सूची ।

1. प्रस्तावना

2. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

3 बिहार मूल्य वर्द्धितकर अधिनियम, 2005 की धारा-15क का अंतःस्थापन।

4. बिहार मूल्य वर्द्धितकर अधिनियम, 2005 की धारा-16 में संशोधन ।

5. बिहार मूल्य वर्द्धितकर अधिनियम, 2005 की धारा-19 में संशोधन ।

6. बिहार मूल्य वर्द्धितकर अधिनियम, 2005 की धारा-24 में संशोधन ।

7. बिहार मूल्य वर्द्धितकर अधिनियम, 2005 की धारा-35 में संशोधन ।

8. बिहार मूल्य वर्द्धितकर अधिनियम, 2005 की धारा-41 में संशोधन ।

9. बिहार मूल्य वर्द्धितकर अधिनियम, 2005 की धारा-69 क का अंतःस्थापन।

10. बिहार मूल्य वर्द्धितकर अधिनियम, 2005 की धारा-98 क का अंतःस्थापन।

11. बिहार विधुत शुल्क अधिनियम 1948 की धारा 2 में संशोधन ।

12 बिहार पेशा, व्यापार, आजिविका एवं कार्य नियोजन पर कर अधिनियम 2011 की धारा 3 में संशोधन

13. बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-5 के संगत अनुसूची-I भाग-“क” का प्रतिस्थापन ।

14 बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम,1994 की अनुसूची- III का प्रतिस्थापन ।

बिहार वित्त विधेयक, 2012

प्रस्तावना- बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005), बिहार विधुत शुल्क अधिनियम 1948 (अधिनियम 36,1948), बिहार पेशा,व्यापार,आजिविका एवं कार्य नियोजन पर कर अधिनियम,2011(अधिनियम-10,2011), बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 1994(बिहार अधिनियम 8, 1994) में संशोधन करने के लिए विधेयक..।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।- (1) यह अधिनियम बिहार वित्त अधिनियम, 2012 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

भाग-1

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में संशोधन

2 . बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) में एक नई धारा 15क का अंतःस्थापन।– बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा 15 के बाद निम्नलिखित नई धारा 15क अंतःस्थापित की जायेगी, यथा–

''**15क कर दायित्व का समाहितिकरण** – (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी एवं इस बावत बनाए गए नियमों के अधीन, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों एवं निबंधनों के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाएँ, किसी वर्ग अथवा श्रेणी के निबंधित व्यवहारियों को उनके द्वारा संदेय कर के बदले में, ऐसी दर पर परिगणित किसी रकम का, जो उनके सकल आवर्त्त के पाँच प्रतिशत से अनधिक हो, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, संदाय करने की अनुमति दे सकेगी।

(2) ऐसे व्यवहारी जिनपर उपधारा (1) के उपबंध लागू होते हों, –

(क) अनुसूची I में विनिर्दिष्ट माल के बिक्रय पर कोई कर प्रभारित नहीं करेंगे;

(ख) उप धारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दर से अधिक पर कर प्रभारित नहीं करेंगे; और

(ग) उनके द्वारा किए गए बिक्रय के संबंध में कर–बीजक जारी करने के हकदार नहीं होंगे।

(3) अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रत्येक व्यवहारी जिनपर उपधारा (1) के उपबंध लागू होते हैं।–

(क) विहित प्राधिकारी को ऐसी विशिष्टियाँ अंर्तविष्ट करते हुए, ऐसे प्रपत्र में एवं ऐसी रीति से, ऐसी अवधि हेतु एवं ऐसी तिथि तक जो आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करें एक सच्ची एवं पूर्ण विवरणी दाखिल करेगा।

(ख) अपने व्यवसाय के संबंध में ऐसा लेखा–पुस्त संधारित करेगा एवं ऐसी रीति से ऐसा लेखा तैयार करेगा जैसा आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट करें।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनार्थ, पद ''लेखापुस्त'' में उनके व्यवसाय के संबंध में संधारित पंजी, विवरण, बीजक, बिल, लेजर, संविदा एवं अन्य उनके द्वारा प्राप्त अथवा निर्गत दस्तावेज शामिल होंगे।''

3. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा 16 में संशोधन –

(1) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा 16 की उप धारा (1) का खंड (ङ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा–

''(ङ) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी बिहार राज्य के भीतर दूसरे ऐसे व्यवहारी से, चार प्रतिशत से उच्चतर दर पर, धारा 14 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट कर का उसको संदाय करने के पश्चात्, किसी निवेश का क्रय करता है, और ऐसे माल से विनिर्मित वस्तु या वस्तुओं का बिहार राज्य से बाहर दूसरे व्यवहारी को अंतरण करता है, तो उसे ऐसी प्रतिशत अथवा ऐसी राशि से अधिक एवं ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, ऐसे कर का प्रतिदाय अनुज्ञात किया जाएगा :''

(2) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा 16 की उपधारा (1) का परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा –

''परन्तु जब किसी मास के लिए खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (ड़) के अधीन निवेश कर प्रतिदाय के लिए दावा उसी मास के लिए उत्पादन कर से अधिक होता है तो ऐसा आधिक्य पश्चात्वर्ती मासों के, जो उस वित्तीय वर्ष के अंतिम मास के बाद का कोई मास नहीं है, उत्पादन कर के विरूद्ध समायोजन के लिए अग्रनीत किया जाएगा और धारा 24 की उप धारा (3) के अधीन दाखिल विवरणी के अनुसार शेष असमायोजित निवेश कर की रकम का इस अधिनियम की धारा 68, धारा 69, धारा 69क और धारा 71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, व्यवहारी को, धारा 24 की उपधारा (3) के अधीन वांछित विवरणी तथा धारा 54 की उप धारा (2) द्वारा अपेक्षित किसी प्रतिवेदन के दाखिल किए जाने वाले माह के पश्चात् तीन माह के भीतर प्रतिदाय किया जाएगा।''

(3) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा 16 की उपधारा (1क) विलोपित की जाएगी।

(4) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा 16 की उपधारा (3) के खंड (च) के अंत में पूर्णविराम को ; (सेमीकॉलन) से प्रतिस्थापित किया जाएगा एवं ऐसे प्रतिस्थापित ; (सेमीकॉलन) के पश्चात् शब्द ''अथवा'' अंतःस्थापित किया जाएगा।

(5) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा 16 की उपधारा (3) के खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित दो नये खंड (छ) एवं (ज) जोड़े जाऐंगे, यथा–

''(छ) अधिनियम की धारा 15क के अधीन कर का भुगतान करने वाले किसी व्यवहारी से राज्य के भीतर किये गए निवेश की खरीद के संबंध में; या

(ज) समरूपी खरीद–मूल्य से कम मूल्य पर बिक्री किए गए निवेशों की बावत :

परन्तु निवेश कर में छूट के ऐसे दावों के मामले में, जिनपर खंड (ज) के उपबंध लागू होते हों, निवेश कर के छूट का दावा ऐसे माल के बिक्रय पर उत्पादन कर की राशि तक सीमित होगी जिनकी बिक्री उनके समरूपी क्रय–मूल्य से कम मूल्य पर की गई हो।''

4. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा 19 का संशोधन– बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा 19 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के अन्त में पूर्णविराम को ; (सेमीकॉलन) से प्रतिस्थापित किया जाएगा एवं, इस तरह से प्रतिस्थापित ; (सेमीकॉलन) के बाद, निम्नलिखित एक नया परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा–

''परन्तु ऐसे व्यक्ति, जिसपर पहला परन्तुक लागू होता हो, से निबंधन के लिए तब तक कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा जबतक आवेदक निबंधन हेतु आवेदन के साथ, विहित प्रपत्र में एवं विहित रीति से दस हजार रुपए के समतुल्य राशि की प्रतिभूति जमा नहीं कर देता।''

5. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा 24 का संशोधन–(1) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा 24 की उपधारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा–

''(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो कोई व्यवहारी हो और जो इस अधिनियम के अधीन निबंधित नहीं हो, विहित प्राधिकारी द्वारा विहित रीति से सूचना तामिल कर उस प्रपत्र एवं रीति से और उस समय तक जो विहित किया जाय विहित प्राधिकारी के पास एक सत्य एवं पूर्ण विवरणी दाखिल करेगा।

''(1 क) प्रत्येक निबंधित व्यवहारी (जो धारा 15 की उप धारा (1) या उप धारा (1क) या उप धारा (4) या धारा 15क के अधीन कर भुगतान हेतु अनुज्ञात व्यवहारी से भिन्न व्यवहारी हो) प्रत्येक तिमाही के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विहित बिक्रय, क्रय प्राप्तियों और माल के प्रेषण तथा किसी अन्य संव्यवहार से संबंधित अपने सभी संव्यवहार के संबंध में एक सही और संपूर्ण विवरणी आयुक्त द्वारा निर्गत अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तिथि को या उसके पूर्व विहित प्राधिकारी को, ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, देगाः

परन्तु निबंधित व्यवहारियों की भिन्न श्रेणियों हेतु भिन्न तिथियाँ विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी।''

6. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा 35 का संशोधन– बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा 35 की उपधारा (1) के बाद, निम्नलिखित नई उपधारा (1क) जोड़ी जायेगी, यथा–

''(1क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के रहते हुए भी एवं इस निमित्त बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए अधिनियम की धारा (15क) के अधीन कर–भुगतान करने वाले के व्यवहारियों के वर्ग अथवा, विवरण जो इस निमित्त निर्गत अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जाए, राज्य सरकार उनके सकल आवर्त्त से ऐसी निश्चित दर से संगणित कटौती की राशि विर्निदिष्ट कर सकेगी जो इस निमित्त निर्गत अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए।''

7. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा 41 का संशोधन– बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा 41 की उपधारा (1) में शब्द ''चार प्रतिशत'' शब्द ''पाँच प्रतिशत'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

8. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) में एक नई धारा 69क का अंतःस्थापन– बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा 69 के बाद एक नई धारा 69क अंतःस्थापित की जाएगी, यथा–

''**69क कतिपय मामलों में कर–वापसी।–** धारा 68 अथवा धारा 69 अथवा इनके अधीन बनाये गये किसी नियम में किसी बात के रहते हुए भी, अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के परन्तुक के कारण आवश्यक किसी असमायोजित निविष्ट कर का प्रतिदाय बिना ऐसे प्राधिकारी द्वारा एवं ऐसी रीति से सत्यापन एवं प्रतिजांच के, जो आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट करे, नहीं किया जायगा।''

9. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) में धारा 98क का अंतःस्थापन– बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा 98 के बाद निम्नलिखित एक नई धारा 98क अंतःस्थापित की जायेगी, यथा–

''**98क कतिपय मामलों में समय सीमा के विस्तार तथा प्रपत्रों का विहित किया जाना।–**(1) अधिनियम एवं इसके अधीन बनायी गयी नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब आयुक्त, अभिलिखित किए जानेवाले कारणों से एवं अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्त्तो एवं निबंधनों के अध्यधीन जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए,–

(क) अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रीति से किसी कर–भुगतान करने, अथवा

(ख) इलेक्ट्रॉनिक रीति से अपेक्षित किसी विवरणी या विवरण या प्रतिवेदन भेजने के संबंध में की तिथि या, यथास्थिति, विस्तारित तिथि का विस्तार कर सकेगा तथा ऐसा विस्तार उस तिथि से अथवा, यथास्थिति, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान या इलेक्ट्रॉनिक विवरणी या इलेक्ट्रॉनिक विवरण या इलेक्ट्रॉनिक प्रतिवेदन के संबंध में विनिर्दिष्ट विस्तारित तिथि तीन माह से अधिक कालअवधि के लिए होगा।

(2) अधिनियम अथवा इसके अधीन बनायी गयी नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त, अधिसूचना द्वारा अधिनियम के अधीन अथवा अधिनियम द्वारा अपेक्षित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दाखिल किए जानेवाले किसी आवेदन या विवरणी या विवरण या प्रतिवेदन दाखिल करने का प्रपत्र एवं रीति विहित कर सकेगा।''

भाग - II

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम संख्या-36, 1948) का संशोधन एवं विधि मान्यकरण

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम 36, 1948) की धारा 2 का संशोधन।– (1) बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम 36, 1948) की धारा 2 के खंड (च) के पश्चात एक नया खंड (चच) दिनांक 17 अक्टूबर, 2002, के प्रभाव से अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा–

''(चच) 'ऊर्जा का मूल्य' से अभिप्रेत है–

(i) किसी अनुज्ञप्तिधारी अथवा ऊर्जा का उत्पादन करनेवाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी उपभोक्ता को ऊर्जा के बिक्रय के मामले में, अनुज्ञप्तिधारी अथवा ऐसी ऊर्जा का उत्पादन करनेवाले किसी व्यक्ति द्वारा आपूर्त्ति की गई ऊर्जा का ऐसा प्रभार जो उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी अथवा ऊर्जा

का उत्पादन करनेवाले किसी व्यक्ति को भुगतेय है परन्तु उसमें निम्नलिखित प्रभार शामिल नहीं होगा, यथा–

(1) मीटर शुल्क;

(2) विलंब से किए गए भुगतान हेतु सूद की राशि;

(3) फ्यूज ऑफ काल प्रभार अथवा रिकनेक्शन प्रभार :

परन्तु यदि उपभोक्ता के द्वारा कोई ऊर्जा खपत नहीं की गई हो तो उसपर देय न्यूनतम प्रभार को ऊर्जा का मूल्य नहीं माना जाएगा :

परन्तु और कि जहां उपभोक्ता द्वारा वास्तव में खपत की गई उर्जा की इकाईयाँ ऊर्जा की वैसी इकाईयों से कम हो जिस हेतु विहित न्यूनतम प्रभार भुगतेय है। वहां वैसे उपभोक्ता के मामले में ऊर्जा के मूल्य से अभिप्रेत होगा वास्तव में खपत की गई ऊर्जा की इकाईयों का प्रभार न कि विहित न्यूनतम प्रभार ।

(ii) ऊर्जा का उत्पादन करनेवाले व्यक्ति के द्वारा ऐसी ऊर्जा खपत के मामले में इलेक्ट्रीसीटी (सप्लाई) अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम 54) की धारा 5 के अधीन गठित बिहार राज्य विद्युत पर्षद को, उपभोक्ता के क्षेत्र में अवस्थित किसी अन्य उपभोक्ता द्वारा बिहार राज्य विद्युत पर्षद् द्वारा शक्ति की वैसी मात्रा की आपूर्ति हेतु, देय प्रभार।

(2) उक्त अधिनियम की धारा 2 में संशोधन सभी प्रयोजनों हेतु 2002 के अक्टूबर की सतरहवी तारीख के प्रभाव से सभी तात्विक समय में विधिमान्यतः एवं प्रभावकारी रूप से प्रवृत एवं सदैव प्रवृत समझा जाएगा।

(3) बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम 36) एवं इसके अधीन बनायी गयी नियमावली एवं निर्गत अधिसूचना के अधीन कोई निर्धारण, संग्रहण, समायोजन, घटाव अथवा संगणन अथवा कृत कोई अन्य कार्रवाई अथवा की गयी कोई बात या की जाने के लिए आशान्वित कोई बात या कार्रवाई सभी प्रयोजनों हेतु विधिमान्यतः या प्रभावकारी रूप से निर्धारित, संग्रहित, समायोजित, घटाई गयी, संगणित अथवा की गयी समझी एवं सदैव समझी जाएगी, मानों इस अधिनियम द्वारा संशोधित उक्त अधिनियम सभी तात्विक समय में प्रवृत था तथा, तद्नुसार, किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकार के किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश में किसी बात के होते हुए भी–

(क) किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकार में ऐसे कर के रूप में प्राप्त की गयी अथवा भुगतान की गयी किसी राशि की वापसी हेतु कोई वाद या कोई अन्य कार्रवाई न तो प्रारंभ की जाएगी, न चलाई जाएगी और न हीं जारी रखी जाएगी;

(ख) किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकार द्वारा प्राप्त या वसूल किये गए ऐसे कर की राशि के वापसी हेतु डिक्री अथवा आदेश का प्रवर्तन नहीं कराया जाएगा;

(ग) ऐसी सभी राशि, जो बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम 36) की धारा–2 में इस अधिनियम द्वारा संशोधन के फलस्वरूप संग्रहित की जा सकती थी परन्तु जिनका संग्रहण नहीं किया गया हो, बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम 36) की धारा 2 की उप–धारा (चच) के साथ पठित धारा 3 के अनुरूप वसूली जा सकेगी।

(4) शंकाओं के निराकरण हेतु एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से ऐसा कोई कार्य या लोप जो इस धारा के प्रवृत नहीं होने की दशा में दंडनीय नहीं होता, अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा।

भाग–III

बिहार पेशा, व्यापार, आजिविका एवं कार्य नियोजन पर कर अधिनियम, 2011 में संशोधन

11. बिहार पेशा, व्यापार, आजिविका एवं कार्यनियोजन पर कर अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 10, 2011) की धारा 3 का संशोधन – (1) बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन अधिनियम, 2011 की धारा 3 के अंत में पूर्ण विराम को ; (सेमीकॉलन) से प्रतिस्थापित किया जाएगा एवं इस प्रकार प्रतिस्थापित ; (सेमीकॉलन) के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः–

''परंतु अधिनियम के अधीन कर भुगतान करने का दायी किसी ऐसे व्यक्ति, जिसने अधिनियम की धारा 8 की उप–धारा (3) के अधीन भुगतेय ब्याज सहित, देय कर यदि कोई हो, का भुगतान कर दिया है तथा जिसने अधिनियम की धारा 7 द्वारा अपेक्षित विवरणी दाखिल कर दिया है, के द्वारा देय कर स्वतः निर्धारित समझा जायेगा।''

(2) बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 10, 2011) की धारा 7 की उप–धारा (1) के अंत में पूर्ण विराम को ; (सेमीकॉलन) से प्रतिस्थापित किया जाएगा एवं इस प्रकार प्रतिस्थापित ; (सेमीकॉलन) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः–

''परंतु किसी कार्य नियोजक के अतिरिक्त अधिनियम के अधीन कर भुगतान का दायी प्रत्येक व्यक्ति जिसने अधिनियम की धारा 8 की उप–धारा (3) के अधीन भुगतेय कर ब्याज सहित, यदि कोई हो, अधिनियम में निर्दिष्ट देय अधिकतम राशि के समतुल्य कर का भुगतान कर दिया है, के द्वारा इस धारा में निर्दिष्ट विवरणी दाखिल किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।''

भाग–IV

बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम,1994(अधिनियम 8,1994) में संशोधन

13. बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की अनुसूची 1 का भाग–क का प्रतिस्थापन – उक्त अधिनियम की अनुसूची **I** का भाग–क निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगाः–

अनुसूची–1

भाग–क

वैयक्तिक वाहनों के लिए एक मुश्त कर की दर तालिका

[धारा 7 की उप धारा (1) देखें]

खंड	क्रमांक	निबंधन का स्टेज	वाहनों का वर्ग	
			मोटर साईकिल	व्यक्तिगत मोटर कार एवं 12 बैठान क्षमता तक के ओमनी बस
1	**2**	**3**	**4**	**5**
अ		निबंधन के समय अथवा प्रथम निबंधन के समय 1 वर्ष तक की उम्र	एकमुश्त कर वाहन के वैट रहित क्रय मूल्य का 6%	एकमुश्त कर (प) वैट रहित मूल्य का 6%, रु. 4 लाख तक मूल्य के वाहन के लिए (पप) वैट रहित मूल्य का 7%, रु. 4 लाख से अधिक मूल्य के वाहन के लिए ।
ब		यदि वाहन पूर्व से निबंधित है और उसकी प्रथम निबंधन से उम्र–	खंड अ कॉलम(4) के अधीन उदग्रहण किये जाने वाला एकमुश्त कर का प्रतिशत।	खंड अ कॉलम(5) के अधीन उदग्रहण किये जाने वाले एकमुश्त कर का प्रतिशत।
	1	एक वर्ष से अधिक परन्तु दो वर्ष से कम	95%	95%
	2	दो वर्ष से अधिक परन्तु तीन वर्ष से कम	90%	90%
	3	तीन वर्ष से अधिक परन्तु चार वर्ष से कम	85%	85%

	4	चार वर्ष से अधिक परन्तु पॉच वर्ष से कम	80%	80%
	5	पॉच वर्ष से अधिक परन्तु छः वर्ष से कम	75%	75%
	6	छः वर्ष से अधिक परन्तु सात वर्ष से कम	70%	70%
	7	सात वर्ष से अधिक परन्तु आठ वर्ष से कम	65%	65%
	8	आठ वर्ष से अधिक परन्तु नौ वर्ष से कम	60%	60%
	9	नौ वर्ष से अधिक परन्तु दस वर्ष से कम	55%	55%
	10	दस वर्ष से अधिक परन्तु ग्यारह वर्ष से कम	50%	50%
	11	ग्यारह वर्ष से अधिक परन्तु बारह वर्ष से कम	45%	45%
	12	बारह वर्ष से अधिक परन्तु तेरह वर्ष से कम	40%	40%
	13	तेरह वर्ष से अधिक परन्तु चौदह वर्ष से कम	35%	35%
	14	चौदह वर्ष से अधिक परन्तु पंद्रह वर्ष से कम	30%	30%
	15	पंद्रह वर्ष से अधिक	25%	25%

14. **बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994(अधिनियम 8, 1994) की अनुसूची III का प्रतिस्थापन** – उक्त अधिनियम के अनुसूची III का निम्नलिखित अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है।

परिशिष्ट. **III**

(धारा–6 देखें)

व्यापारी या निर्माता द्वारा देय कर की दर तालिका

व्यापारी या निर्माता के अधीन वाहन की विवरणी	व्यापारी या निर्माता के अधीन प्रति वाहन पर वार्षिक कर
	रुपया
1. मोटर साईकिल	150.00
2. भारी वाहनों के चेसिस	250.00
3. अन्य वाहन	200.00

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य के संसाधनों में अभिवृद्धि आवश्यक है । उपर्युक्त लक्ष्य की पूर्ति हेतु राजस्व अभिवृद्धि के लिए उपाय चिन्हित किये गये हैं । कई मामले ऐसे हैं जहां (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में तीव्र बढ़ोतरी के बावजूद भी) लंबे अरसे से कर/शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है । कुछ उपाय ऐसे हैं जहां कर के दरों के युक्तिकरण से राजस्व संग्रहण में उछाल आने की संभावना है। कर प्रशासन के क्रम में अनुभूत कठिनाइयों के निराकरण तथा प्रावधानों के युक्तिकरण की भी आवश्यकता महसूस की गई है। राजस्व अभिवृद्धि, कठिनाईयों के निराकरण तथा विभिन्न प्रावधानों को युक्तिकरण हेतु चिन्हित इन उपायों को कार्यान्वित करने के लिए चार अधिनियमों में संशोधन की आवश्यकता है। इन अधिनियमों में अलग अलग संशोधन करने में होने वाले प्रक्रियात्मक विलम्ब से बचने के लिए वित्त विधेयक के माध्यम से इन अधिनियमों को संशोधित करने का प्रस्ताव है। यहीं इस विधेयक का उद्देश्य है और इसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभिष्ट है।

(सुशील कुमार मोदी)
भार–साधक सदस्य

वित्तीय संलेख

राज्य के संसाधनों में अभिवृद्धि की आवश्यकता को दृष्टिपथ में रखते हुए कतिपय उपाय चिन्हित किए गये हैं जिनसे राजस्व में अभिवृद्धि लायी जा सके । इन उपायों को कार्यान्वित करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, जिसके 4 (चार) हिस्से हैं :–

भाग– 1 बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में संशोधन।

भाग–2 बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 में संशोधन ।

भाग–3 बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका, तथा रोजगार पर कर अधिनियम, 2011 में संशोधन ।

भाग–4 बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 में संशोधन ।

(सुशील कुमार मोदी)
भार–साधक सदस्य